# कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग ,देवरिया

पत्रांक 423 / 2-6 दिनांक, देवरिया, अगस्त 8 / 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर ।

विषय :– **जनपद–देवरिया में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया–कसया मार्ग (एस0एच0–79) के कि0मी0 18 से 19 (चैनेज सं0–18.620) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या–166 / ग्राम–सिरसिया पट्टी हुसैन, तहसील व जिला–देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 05 वृक्षो के पातन के अनुमति के सम्बन्ध में ।**

सन्दर्भ :– उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–पी0–197 / 81–2–2023–800 (187) / 2023 दिनांक 17.07.2023एवं मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–179 / 11–सी–एफ0पी0 / यू0पी0 / एप्रोच / 51457 / 2020 दिनांक 20.07.2023 ।

महोदय

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उठाई गयी आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार हैः–

| क्र0 सं0 | प्रश्न | उत्तरालेख |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | प्रस्ताव में निर्धारित प्रपत्र के पार्ट–2 के बिन्दु संख्या–11 में निम्नवत् स्थिति अंकित की गयी है। क्या अधिनियम अथवा अधिनियम के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य किया गया है अथवा नहीं ? | प्रस्ताव में निर्धारित प्रपत्र के पार्ट–।। के बिन्दु सं0–11 में अंकित विवरण को पुनः परीक्षण कराने में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन पाया गया है जिसके क्रम में एच–2 केस जारी कर प्रतिकर की धनराशि मु0 40,000.00 वसूल किया गया है। |
| 2 | प्रस्ताव के साथ संलग्न अभिलेख (पेज सं0–89,90,91) / वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 14.12.2022 को समय लगभग 5.00 पी0एम0 पर प्राप्त शिकायत के अनुसार देवरिया–कसया मार्ग कि0मी0 17 से 18 के मध्य बांयी पटरी पर ग्राम सिरसिया पट्टी हुसैन, बसंतपुर धुसी पो0 व थाना तरकुलवा जिला–देवरिया मातेश्वर फिलिग स्टेशन पर पाया गया कि संरक्षित वन भूमि की जमीन 35 X 22.86 = 800.1 वर्ग मीटर भूमि को विना अनुमति का गैर वानिकी प्रयोग किया जाना पाया गया। पूछ–ताछ पर पाया गया कि मातेश्वरी फिलिगं स्टेशन के मालिक श्री अभय प्रताप मल्ल पुत्र योगेश मल्ल के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन किया गया है। इस हेतु श्री मल्ल के विरूद्व केस संख्या–37 / 2022–23 दर्ज कर दिनांक 08.06.2023 को उनसे धनराशि रू0 40,000.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा करायी गयी। | प्रस्ताव में संलग्न अभिलेख के अनुसार अभियुक्त श्री अभय प्रताप मल्ल पुत्र श्री योगेश मल्ल के नाम वन संरक्षण अधिनियम–1980 के उल्लंघन किये जाने के कारण एच–2 केस संख्या–37 / 2022–23 रेंज द्वारा जारी किया गया है। उसके क्रम में अभियुक्त द्वारा रू0 40,000.00 मात्र की धनराशि प्रतिकर के रूप में जमा किया गया है। एच–2 केस एवं जारी ई–3 रसीद की छाया प्रति संलग्न है। |
| 3 | भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के पत्र दिनांक 14.08.2019 के अनुसार एम एस / एच0एस0 डी रिटेल आउटलेट डिलरशिप (लोकेशन एस एच–79 स्टोन नं0 17 और 20 दांयी पटरी जिला–देवरिया) श्रीमती उषा मल्ल के नाम जारी किया गया है। | रिटेल आउटलेट डिलरशीप (लोकेशन एस0 एच0–79 स्टोन नं0–17 और 20 अंकित नहीं है जो त्रूटिपूर्ण है इस स्थल का स्टोन नं0–18–19 के मध्य दांयी पटरी अंकित है जिसे संशोधित कर एच–2 केस की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है। |
| 4 | उक्त से प्रतीत हो रहा है कि प्रस्तावित रिटेल आउटलेट राज्य सरकार तथा भारत सरकार की पूर्वानुमति के बगैर ही संचालित हो रहा है। | पूर्वानुमति के बगैर संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया गया है जिसके उल्लंघन में एच–2 केस जारी करते हुए प्रतिकर की धनराशि रू0 40,000.00 वसूल की गयी है। जिसकी ई–3 रसीद की छाया प्रति संलग्न है। |

अतः उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या–1 से 4 तक की आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विषयगत प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत स्वीकृति जारी कराने की कृपा करें।

**संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।**

भवदीय

R. Jagdeesh

(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया

**पत्रांक / उक्तदिनांकित।**

प्रतिलिपिः–मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया

/DM.BABU